

# कबीरधाम पुलिस

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

## जिला - कबीरधाम

दिनांक : 24.12.2020

### थाना चिल्फी - जिला-कबीरधाम

- चिल्फी पुलिस की अवैध मादक पदार्थ परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही
- 675 किलोग्राम (6.75 क्विंटल) गांजा व तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे
- अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर दस चक्का ट्रक के साथ गिरफ्तार
- अवैध मादक पदार्थ गांजा की कीमत 67 लाख 50 हजार रुपये एवं घटना में प्रयुक्त दस चक्का ट्रक कीमती 25 लाख भी जप्त
- कुल 92 लाख 50 हजार का मशरूका जप्त
- उड़ीसा का गांजा सरगना गिरफ्तार

श्री विवेकानंद सिन्हा पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, दुर्ग द्वारा राज्य के सीमा क्षेत्र पर अवैध शराब, गांजा तस्करो एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों पर सतत् निगरानी करते हुये लगातार प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्राप्त निर्देशों का अक्षरशः पालन किये जाने हेतु श्री शलभ कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा जिला इकाई कबीरधाम के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए जिला एवं राज्य के सरहदी थाना चिल्फी में निरीक्षक रमाकांत तिवारी

द्वारा अपने सूचना तंत्र को सक्रिय कर उक्त अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में लगातार जानकारी प्राप्त किया गया। इसी तारतम्य में दिनांक 23.12.2020 की रात्रि को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर की ओर से होते हुए जबलपुर की ओर ट्रक में अवैध गांजा की परिवहन होने वाली है, कि उक्त सूचना के संबंध में थाना प्रभारी चिल्फी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देश के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य जाने वाली सभी मुख्य मार्गों में नाकाबंदी पाईट लगाया गया। कि इसी दौरान मुखबीर द्वारा प्रदाय सूचना एवं हुलिया के आधार पर एक 10 चक्का ट्रक रायपुर जबलपुर नेशनल मार्ग से होते हुए आ रही थी। जिसे थाना चिल्फी के सामने मुख्य मार्ग में लगे नाकाबंदी पाईट द्वारा संदिग्ध ट्रक को रूकवार विधिवत् तलाशी लिया गया। तलाशी पश्चात् तलाशी पश्चात् ट्रक के केबिन व ट्राली के बीच के संरचना को परिवर्तित कर मोडिफाई चेम्बर बनाकर जिसके अंदर मादक पदार्थ भरकर बाहर से नट बोल्ट से कसकर छुपाकर रखे कुल 675 किलो गांजा को जप्त किया गया व उड़ीसा राज्य के गांजा सरगना प्रमोद कुमार घोष पिता पुन्ना चंद्र घोष उम्र 20 वर्ष निवासी मरदोकोट थाना कोडला जिला गंजाम राज्य उड़ीसा को गिरफ्तार किया गया। कुल जप्त गांजा की मात्रा वजनी 6 क्विल्टन पचहत्तर किलो (6.75 क्विल्टन ) कुल कीमत 67 लाख 50 हजार रूपये एवं घटना में प्रयुक्त दस चक्का वाहन कीमती 25 लाख रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। आरोपी से पूछताछ करने पर गांजा को अवैध तस्करी करते हुए धन लाभ अर्जित करने हेतु ट्रक के कैबिन को संरचना परिवर्तित कर नया गोपनीय मोडिफाई चेम्बर बना कर जो बाहर से नट बोल्ट से कसा था बिशेष तोर पर मादक पदार्थ परिवहन हेतु बनाया गया था । उक्त मादक पदार्थ को उड़ीसा राज्य से लाकर कबीरधाम होते आगरा के विभिन्न स्थानों में खपाने की तैयारी में थे। इस संपूर्ण कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला श्री अजीत कुमार ओग्रे के निर्देशन में चिल्फी थाना व डायल 112 स्टाफ द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।

